

राजस्थान सरकार  
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 10§6§राज-6/78/मार्च/ 43

जयपुर, दिनांक:- 8.12.2000

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § 1956 का राजस्थान अधिनियम सं०-15 की धारा 261 की उप-धारा §2§ द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व §भूमि अभिलेख § नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इससे द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

§1§ इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व §भूमि अभिलेख § छठा संशोधन § नियम, 2000 है ।

§2§ ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 260 का संशोधन :-

राजस्थान भू-राजस्व § भूमि अभिलेख § नियम, 1957 के नियम 260 में से संलग्न " सारणी " में विद्यमान क्र. सं. 42 के पश्चात् नये क्र. 43से 47 तक निम्नलिखित रूप में जोड़े जायेंगे :-

43.	सौफ	प्रथम	15 दिसम्बर	25 दिसम्बर	10 जनवरी
		अंतिम	10 मई	20 मई	05 जून
44.	अजवाइन	प्रथम	15 दिसम्बर	25 दिसम्बर	10 जनवरी
		अंतिम	10 मई	20 मई	05 जून
45.	लहसुन	प्रथम	15 दिसम्बर	25 दिसम्बर	10 जनवरी
		अंतिम	10 मई	20 मई	05 जून
46.	मेहन्दी	प्रथम	15 दिसम्बर	25 दिसम्बर	10 जनवरी
		अंतिम	10 मई	20 मई	05 जून ।
47.	इसबगोल	प्रथम	15 दिसम्बर	25 दिसम्बर	10 जनवरी
		अंतिम	10 मई	20 मई	05 जून "

राज्यपाल के आदेश से ,

§ शिव कुमार शर्मा §  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री / राजस्व सचिव ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी & कम्प्यूटर्स विभाग को सुं.मं. सचिवालय के पत्रांक 12418 दिनांक 18.11.2000 की पालना में ।
6. निदेशक, आर0आर0टी0आई0 अजमेर ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 8.12.2000 में प्रकाशना र्थ ।
9. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. ऑल आर0ए0ए0 १एस0१ राजस्थान ।
11. विधि संहिताकरण विभाग को 7 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
12. उप निबन्धक & वित्त एवं लेखा & राजस्व मण्डल, अजमेर ।
13. संयुक्त रजिस्ट्रार जजेज लाइब्रेरी, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों
14. रक्षित पत्रावली ।

  
शासन उप सचिव

मनोज/